# सप्तदश

# बिहार विधान सभा

## की

# निवेदन समिति

## का

# तृतीय प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त जल संसाधन विभाग से संबंधित निवेदन संख्या 155/21 एवं 354/21 पर प्रतिवेदन ।

(दिनांक 28.06.22 ई0 को सदन में उपस्थापित) ।

## विषय-सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | निवेदन समिति के सदस्यों की सूची | .. क |
| 2. | सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची | .. ख |
| 3. | प्राक्कथन | .. ग |
| 4. | प्रतिवेदन I | .. 1-2 |
| | प्रतिवेदन II | .. 6 |
| 5. | परिशिष्ट 1-7. | .. 3-10 |

बिहार विधान सभा सचिवालय

---

सप्तदश बिहार विधान सभा का वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिये गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री विनोद नारायण झा (32) स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल (150) स०वि०स०
2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20) स०वि०स०
3. श्री राहुल तिवारी (198) स०वि०स०
4. श्री बच्चा पाण्डेय (110) स०वि०स०
5. श्री राम विलास कामत (42) स०वि०स०
6. श्री अजय कुमार सिंह (166) स०वि०स०
7. ई० शशि भूषण सिंह (11) स०वि०स०
8. श्री छोटे लाल राय (121) स०वि०स०
9. श्री कुंदन कुमार (146) स०वि०स०
10. श्री राजीव कुमार सिंह (164) स०वि०स०
11. श्री श्रीकान्त यादव (113) स०वि०स०

## बिहार विधान सभा सचिवालय

## सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

| | |
|---|---|
| 1. श्री शैलेन्द्र सिंह | सचिव |
| 2. श्री पवन कुमार पाण्डेय | संयुक्त सचिव |
| 3. श्री पवन कुमार सिन्हा | उप-सचिव |
| 4. श्री (मो०) शमीम अहमद | अवर-सचिव |
| 5. श्री सुधीर कुमार सिंह | प्रशाखा पदाधिकारी |
| 6. श्रीमती रूशदा रहमान | प्रशाखा पदाधिकारी |
| 7. श्रीमती प्रेरणा कुमारी | सहायक |
| 8. श्री प्रवीण कुमार | सहायक |

## प्राक्कथन

मैं सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में जल संसाधान विभाग से संबंधित 2 (दो) निवेदनों पर निवेदन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

निवेदन के संबंध में विचार-विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिये समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

---

विनोद नारायण झा,
सभापति,
निवेदन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

## प्रतिवेदन I

**श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 155/2021**

नेपाल के सीमा को स्पर्श करती हुयी लक्ष्मणा नदी सीतामढ़ी को स्पर्श करती हुयी आगे बढ़ती है। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में रून्नीसैदपुर प्रखंड तक को स्पर्श करने वाली लक्ष्मणा नदी को शीघ्र उड़ाही कर पानी की धारा को जीवंतता देने से सीतामढ़ी जिला बाढ़ एवं सुखाड़ के दंश से वंचित हो सकता है। साथ ही कृषक को सिंचाई के भी अद्भूत साधन हो जायेगा।

लक्ष्मणा नदी ऐतिहासिक तथ्यों को भी अपने में संजोये हुये है। अध्यपाल रामायण सहित मिथिला राज्य के वैदिक वर्णन में भी इसकी व्याख्या है।

लक्ष्मणा नदी को उड़ाही अपनी संस्कृति, सभ्यता, पौराणिकता, कृषि के सहायक साधन एवं अन्य कई गंभीर समाधान को अपने में संजोये हुये हैं।

अत: शीघ्र लक्ष्मणा नदी की उड़ाही एवं उसके तटबंधों का शीघ्र निर्माण कर जनता को राहत पहुँचाने हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट-1)

श्री मिथिलेश कुमार स०वि०स० के उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 2574, दिनांक 11 जून, 2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। (परिशिष्ट-2)

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक 2485, दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 (परिशिष्ट-3) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि लखनदेई नदी (लक्ष्मणा नदी) सीतामढ़ी जिला के नेपाल सीमा से निकलकर सोनबरसा, डुमरा, रून्नीसैदपुर प्रखंड होते हुये बागमती नदी में मिल जाती है।

लखनदेई नदी में कुल 21 कि०मी० में उड़ाही एवं लखनदेई नदी की नई धार को पुरानी धार से मिलाने की योजना है, जिसके विरुद्ध 18.00 कि०मी० में उड़ाही का कार्य वर्ष 2018-19 में पूर्ण कर लिया गया है। जिससे सोनबरसा, बथनाहा एवं डुमरी प्रखंड को जल-जमाव से निजात मिला है।

शेष 3.00 कि०मी० का कार्य भू-अर्जन के कारण बाधित है। भू-अर्जन का कार्य प्रगति में है। भू-अर्जन मद में 125.00 लाख आवंटन प्राप्त है, जिसके विरुद्ध 121.00 लाख रुपये रैयतदारों को भुगतान किया जा चुका है। शेष 4.00 लाख रुपये के विरुद्ध 16 रैयतदारों से निबंधन कराया जा चुका है, जिसकी भुगतान राशि 75.00 लाख है। रैयतदारों से सहमति प्राप्त कर भूमि का निबंधन कराया गया है एवं शेष रैयतदारों से भूमि की निबंधन हेतु अभिलेख तैयार किया जा रहा है। शेष रैयतदारों को भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु रु० 4.12 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग, बिहार में समर्पित है।

आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किसानों को भू-अर्जन मुआवजा का भुगतान कर शेष 3.00 कि०मी० लिंक चैनल का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

## समिति का निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2022 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय उत्तर प्रतिवेदन ज्ञापांक 2485, दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 155/21 को कार्यान्वित मान लिया गया ।

## परिशिष्ट 1

**श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 155/2021**

नेपाल के सीमा को स्पर्श करती हुयी लक्ष्मणा नदी सीतामढ़ी को स्पर्श करती हुयी आगे बढ़ती है। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में रून्नीसैदपुर प्रखंड तक को स्पर्श करने वाली लक्ष्मणा नदी को शीघ्र उड़ाही कर पानी की धारा को जीवंतता देने से सीतमढ़ी जिला बाढ़ एवं सुखाड़ के दंश से वंचित हो सकता है। साथ ही कृषकों को सिंचाई के भी अद्भूत साधन हो जायेगा।

ज्ञातव्य हो कि लक्ष्मणा नदी ऐतिहासिक तथ्यों को भी अपने में संजोये हुये हैं। अध्यपाल रामायण सहित मिथिला राज्य के वैदिक वर्णन में भी इसकी व्याख्या है।

लक्ष्मणा नदी को उड़ाही अपनी संस्कृति, सभ्यता, पौराणिकता, कृषि के सहायक साधन एवं अन्य कई गंभीर समाधान को अपने में संजोये हुये हैं।

अत: शीघ्र लक्ष्मणा नदी की उड़ाही एवं उसके तटबंधों का शीघ्र निर्माण कर जनता को राहत पहुँचाने हेतु मैं सरकार से निवेदन करता हूँ।

## परिशिष्ट 2

सं० 2 नि०155–2021–2574 / वि०स०

## बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर-सचिव ।
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 11 जून, 2021 (ई०)।

विषय--सदन में प्रस्तुत किये गये निवेदन संख्या 155/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 292(घ) के अन्तर्गत श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुये आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

## परिशिष्ट 3

**श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 155/2021 का उत्तर प्रतिवेदन**

नेपाल के सीमा को स्पर्श करती हुयी लक्ष्मणा नदी सीतामढ़ी को स्पर्श करती हुयी आगे बढ़ती है। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में रून्नीसैदपुर प्रखंड तक को स्पर्श करने वाली लक्ष्मणा नदी को शीघ्र उड़ाही कर पानी की धारा को जीवंतता देने से सीतमढ़ी जिला बाढ़ एवं सुखाड़ के दंश से वंचित हो सकता है। साथ ही कृषकों को सिंचाई के भी अद्भूत साधन हो जायेगा।

ज्ञातव्य हो कि लक्ष्मणा नदी ऐतिहासिक तथ्यों को भी अपने में संजोये हुये हैं। अध्यपाल रामायण सहित मिथिला राज्य के वैदिक वर्णन में भी इसकी व्याख्या है।

लक्ष्मणा नदी को उड़ाही अपनी संस्कृति, सभ्यता, पौराणिकता, कृषि के सहायक साधन एवं अन्य कई गंभीर समाधान को अपने में संजोये हुये हैं।

अत: शीघ्र लक्ष्मणा नदी की उड़ाही एवं उसके तटबंधों का शीघ्र निर्माण कर जनता को राहत पहुँचाने हेतु मैं सरकार से निवेदन करता हूँ।

**उत्तर**

वस्तुस्थिति यह है कि लखनदेई नदी (लक्ष्मणा नदी) सीतामढ़ी जिला के नेपाल सीमा से निकलकर सोनबरसा, डुमरा रून्नीसैदपुर प्रखंड होते हुये बागमती नदी में मिल जाती है।

लखनदेई नदी में कुल 21 कि०मी० में उड़ाही एवं लखनदेई नदी की नई धार को पुरानी धार से मिलाने की योजना है, जिसके विरुद्ध 18.00 कि०मी० में उड़ाही का कार्य वर्ष 2018-19 में पूर्ण कर लिया गया है। जिससे सोनबरसा, बथनाहा एवं डुमरा प्रखंड को जल-जमाव से निजात मिला है।

शेष 3.00 कि०मी० का कार्य भू-अर्जन के कारण बाधित है। भू-अर्जन का कार्य प्रगति में है। भू-अर्जन मद में 125.00 लाख आवंटन प्राप्त है, जिसके विरुद्ध 121.00 लाख रुपये रैयतदारों को भुगतान किया जा चुका है। शेष 4.00 लाख रुपये के विरुद्ध 16 रैयतदारों से निबंधन कराया जा चुका है, जिसकी भुगतान राशि 75.00 लाख है। रैयतदारों से सहमति प्राप्त कर भूमि का निबंधन कराया गया है एवं शेष रैयतदारों से भूमि की निबंधन हेतु अभिलेख तैयार किया जा रहा है। शेष रैयतदारों को भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु रु० 4.12 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग, बिहार में समर्पित है। आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किसानों को भू-अर्जन मुआवजा का भुगतान कर शेष 3.00 कि०मी० लिंक चैनल का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

विश्वासभाजन,
इन्दु भूषण प्रसाद,
सरकार के अवर-सचिव।

## प्रतिवेदन II

### श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 354/2021

मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत के दतुआर गाँव के किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन में जल-जमाव के कारण फसल उत्पादन का कार्य बन्द हो गया है। यह भूमि गाँव के उत्तर एवं पूरब में है। अत्यधिक जल-जमाव से किसान कोई भी फसल नहीं लगा पाते हैं या जो भी फसल लगाते हैं वह पानी के कारण बर्बाद हो जाता है। किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है तथा किसानों में असंतोष एवं भारी आक्रोश व्याप्त है।

उक्त समस्या से निजात हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट-4)

श्री अरूण शंकर प्रसाद स०वि०स० के उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरांत प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 3379, दिनांक 13 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट-5) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त निवेदन में निहित विषय वस्तु का संबंध जल संसाधन विभाग से होने की जानकारी देते हुये जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया।

सभा सचिवालय के पत्रांक 4428, दिनांक 23 अगस्त, 2021 द्वारा जल संसाधन विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रारूप भेजा गया । (परिशिष्ट-6)।

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक 2967, दिनांक 29 नवम्बर, 2021 (परिशिष्ट-7) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत के दतुआर गाँव के उत्तरी में पूर्वी भाग के जल निकासी हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से पक्के नाले का निर्माण किया गया है। जिससे जल निकासी होती है।

स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उक्त नाले का निर्माण जिला प्रशासन के माध्यम से दिनांक 30 मई, 2021 में पूर्ण करा लिया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के अधिकांश भागों में धान की फसल लगाया गया है।

### समिति का निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2022 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय उत्तर प्रतिवेदन पत्रांक 2967, दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 354/21 को कार्यान्वित मान लिया गया ।

परिशिष्ट 4

**श्री अरूण शंकर प्रसाद ( 33 ), स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 354 / 2021**

मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत के दतुआर गाँव के किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन में जल-जमाव के कारण फसल उत्पादन का कार्य बन्द हो गया है। यह भूमि गाँव के उत्तर एवं पूरब में है। अत्यधिक जल-जमाव से किसान कोई भी फसल नहीं लगा पाते हैं या जो भी फसल लगाते हैं वह पानी के कारण बर्बाद हो जाता है। किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है तथा किसानों में असंतोष एवं भारी आक्रोश व्याप्त है।

## परिशिष्ट 5

सं० 2 नि०354–2021 –3379 / वि०स०

## बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 13 जुलाई, 2021 (ई०)।

विषय– सदन में प्रस्तुत किये गये निवेदन संख्या 354/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292(घ) के अन्तर्गत श्री अरूण शंकर प्रसाद (33), स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुये आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट 6

सं० 2 नि० 354–2021–4428 / वि०स०

**बिहार विधान सभा सचिवालय**

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 23 अगस्त, 2021 (ई०)।

विषय--निवेदन संख्या 354/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि सभा सचिवालय के पत्रांक 3379, दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा निवेदन संख्या 354/21 का उत्तर भेजने हेतु लघु जल संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया था लघु जल संसाधन विभाग द्वारा पत्रांक 2886, दिनांक 11 अगस्त, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त निवेदन में निहित विषय बिन्दु का संबंध जल संसाधन विभाग से होने की जानकारी देते हुये आपके विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निवेदन सं० 354/21 का उत्तर माननीय सदस्य को भेजते हुये उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को भी निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

## परिशिष्ट 7

**श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 354/2021 का उत्तर प्रतिवेदन।**

प्रश्न--मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत के दतुआर गाँव के किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन में जल-जमाव के कारण फसल उत्पादन का कार्य बन्द हो गया है। यह भूमि गाँव के उत्तर एवं पूरब में है। अत्यधिक जल-जमाव से किसान कोई भी फसल नहीं लगा पाते हैं या जो भी फसल लगाते हैं वह पानी के कारण बर्बाद हो जाता है। किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है तथा किसानों में असंतोष एवं भारी आक्रोश व्याप्त है।

उत्तर प्रतिवेदन--वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत के दतुआर गाँव के उत्तर में पूर्वी भाग के जल निकासी हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से पक्के नाले का निर्माण किया गया है। जिससे जल निकासी होती है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि उक्त नाले का निर्माण जिला प्रशासन के माध्यम से दिनांक 30 मई, 2021 में पूर्ण करा लिया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के अधिकांश भागों में धान की फसल लगाया गया है।

बि०स०मु० 95(एल०ए०) – 2022–23 – डी०टी०पी०– 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022